

20/6/25

पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।

बार-बार आवाज लगावने के बावजूद

कोई उपस्थित नहीं। मूल वाद अदम एजरी-

अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है।

अतः यह प्रार्थना पत्र भी अदम-एजरी

- अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

न्यायालय का स्थान आदेश दिनांक


25-4-2023 प्रार्थना पत्र के अदम एजरी

अदम पैरवी में खारिज होने से स्वतः

ही खारिज हो गया है। पत्रावली केसल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्ब जाप्ता
दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद की पत्रावली
के साथ संलग्न रहे।

उपख  कारी
धौलपुर (राज०)